महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब , हिमाचल, गुजरात एवं मध्यप्रदेश का लोकप्रिय समाचार-पत्र

RNI NO: MAHHIN/2013/49425

सृष्टी पाक्षिक एग्रो

ग्रामीण विकास का संपूर्ण पाक्षिक पत्र

डाक पंजीयन सं. MH/MR-NW-251/2013-/2015

मुंबई,15 जुलाई से 31 जुलाई 2013

वर्ष-1 | अंक-12 | पृष्ठ-8 | मूल्य-2/- रुपए

कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी

शरद पंवार सहित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के सदस्यों और कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने उठाई आपत्ति

नई दिल्ली। देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए केंद्र संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा जारी अध्यादेश का ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी खाद्य सुरक्षा विधेयक को पासा पलटने वाली पहल' यानी गेमचेंजर' के रूप में देख रही है। आगामी चुनाव में इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। जैसाकि पिछले चुनावों में नरेगा ने चुनावों का पासा पलट दिया था उसी तरीके से इसको देखा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा बिल की खास बात यह है कि खाद्य सुरक्षा कानून बनने से देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा। विधेयक में लाभ प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता वाले परिवार और सामान्य परिवारों में बांटा गया है। प्राथमिकता वाले परिवारों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले और सामान्य कोटि में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को रखे जाने की बात कही गई है ग्रामीण क्षेत्र में इस विधेयक के दायरे में 75 प्रतिशत आबादी आएगी, जबकि शहरी क्षेत्र में इस विधेयक के दायरे में 50 प्रतिशत आबादी आएगी विधेयक में प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवारों को तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे के प्रावधानों के तहत देश की 63.5 प्रतिशत जनता को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विधेयक का बजट पिछले वित्तीय वर्ष के 63,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 95,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा इस विधेयक के कानून में बदल जाने के बाद अनाज की मांग 5.5 करोड़ मिट्रिक टन से बढ़ कर 6.1 मिट्रिक टन हो जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को दो भागों में बांटा गया है।द्ध प्राथमिकता वाले परिवार (जैसे बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग) और सामान्य परिवार इस विधेयक के तहत सरकार प्राथमिकता श्रेणी वाले प्रत्येक व्यक्ति को सात किलो चावल और गेहूं देगी. चावल तीन रुपए और गेहूं दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा।जबकि सामान्य श्रेणी के लोगों को कम से कम तीन किलो अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधे दाम पर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आबादी को इस विधेयक का लाभ दिया जाएगा, जिसमें से कम से कम 46 प्रतिशत प्राथमिकता श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा। शहरी इलाकों में कुल आबादी के 50 फीसदी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें से कम से कम 28 प्रतिशत प्राथमिकता श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा.

नए प्रावधान

- कुछ दिनों पहले खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने इस विधेयक के बारे में कहा था, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद से चर्चा के बाद 2009 में बनाए गए विधेयक के मसौदे में कुछ और प्रावधान जोड़े गए हैं।
- सोशियोलॉजिकल मदरहुड में गर्भवती महिलाओं, बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं, आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों और बूढ़े लोगों को पका हुआ खाना मुहैया करवाया जाएगा।
- खाद्य मंत्री के मुताबिक राशनकार्ड वाली महिलाओं को महीने के 1,000 रुपए भी दिए जाएंगे।
- इस विधेयक में ऐसे भी प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती है, तो योजना के लाभार्थियों को उसके बदले पैसा दिया जाएगा।
- महत्वपूर्ण है कि जनवितरण प्रणाली के तहत सरकार हर महीने 6 करोड़ 52 लाख बीपीएल परिवारों को 35 किलो गेहूं और चावल प्रदान करती है. इस योजना के तहत गेहूं 4.15 रुपए में दिया जाता है, जबकि चावल का दाम 5.65 रुपए किलो है।
- एपीएल की श्रेणी वाले 11.5 करोड़ परिवारों को 6.10 रुपए में 15 किलो गेहूं और 8.30 रुपए में 35 किलो चावल दिए जाते हैं।
- नया कानून लागू होने के बाद इतने कम दाम में गेहूं और चावल पाना निर्धन लोगों का कानूनी अधिकार बन जाएगा।

मानसून से किसानों चेहरे खिले

मानसूनी बारिश से उत्तराखंड एवं देश के अलग-अलग हिस्से में जनजीवन प्रभावित

मुंबई। दक्षिण-पश्चिम मानसून का असर देश के विभिन्न राज्यों में देखा जा रहा है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में आसमान बादलों से घिरा रहा जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अलग-अलग हिस्से में भारी बारिश होने से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने देश को झकझोर कर रख दिया। हजारों लोगों की जानें गई व कई अब भी लापता है।

मौसम विभाग ने इन इलाकों में आगे और बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में सुबह की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई। यहां आसमान में बादल घिरे हुए हैं और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपने पूर्वानुमान में कहा, आसमान बादलों से घिरा रहेगा। शहर के कुछ हिस्से में हल्की बारिश एवं गरज के साथ बौछरें पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार सुबह धूप खिली जबकि ताजनगरी आगरा में तीन चरणों में हुई बारिश से जनजीवन पर विराम लग गया है। मौसम विभाग के निदेशक जे पी गुप्ता ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में मध्यम एवं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी का 26 डिग्री, कानपुर का 24 डिग्री और इलाहाबाद का 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर, मध्य प्रदेश में सुबह आसमान बादलों से घिरा रहा। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है जिससे यहां जोरदार बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने सागर, भोपाल, होशंगाबाद और शहडोल में भारी बारिश के आसार जताए हैं। बीते 24 घंटे में राजधानी भोपाल में 8.6 मिली मीटर, ग्वालियर में 6.4 और इंदौर में 13.2 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई। भोपाल का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का 29.2 डिग्री, ग्वालियर का 34.8 और जबलपुर का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मानसूनी बारिश का असर दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में भी देखा जा रहा है। ओडिशा के विभिन्न हिस्से में पिछले दिनों से हुई बारिश से मलकानगिरी जिले में अचानक आई बाढ़ में दो महिलाओं की मौत हो गई और दो लापता हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मंगलहाट इलाके में एक मकान ढह जाने से एक महिला की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए। इस बीच, पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से रेलवे की पटरियों पर पानी जम गया है जिससे मुंबई-अहमदाबाद और मुंबई-नई दिल्ली रेलमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई एवं हैदराबाद में आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार जताए हैं।

आयात शुल्क बढ़ने से अब चीनी आयात रुकेगा

नई दिल्ली। चीनी आयात शुल्क में और वृद्धि करने की उद्योग जगत की मांग को ठुकराते हुए कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से इसका आयात रुकेगा और घरेलू बिक्री बढ़ेगी। इससे चीनी मिलों को किसानों का गन्ने का बकाया 9,000 करोड़ रुपए भुगतान करने में मदद मिलेगी। सरकार ने कल चीनी पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। हालांकि, चीनी उद्योग इसे 40 प्रतिशत करने की मांग कर रहा था। पवार ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि अक्टूबर से शुर होने वाले विपणन वर्ष 2013-14 में चीनी उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। इसके बजाय देश के पास निर्यात के लिए अधिशेष चीनी होगी। शुल्क वद्धि के बारे में पूछने पर पवार ने बताया कि चीनी का आयात अब रुकेगा। यह (चीनी आयात पर शुल्क वृद्धि) बेहतर है क्योंकि चीनी मिलों गोदाम चीनी से भरे पड़े हैं और इसे कोई लेने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में कम से कम हम अपने किसानों को सुरक्षा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादकों का बकाया करीब 9,000 करोड़ रुपए का है जो अधिकांशत: उत्तर प्रदेश में है। यह पूछने पर कि चीनी आयात शुल्क में आगे और वृद्धि की कोई गुंजाइश है उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है।